संख्या-604/2023/4058/22-2-2023-17(261)/2013

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08 दिसम्बर, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संतोष कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, निवासी जनपद-औरंगाबाद, बिहार राज्य की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 के पत्र संख्या-33311/प्रो0अनु0(2)-260/2023 (बैठक दिनांक-21-11-2023) दिनांक 21.11.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संतोष कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, सा0 पिपरौला, थाना-नवीनगर, जनपद-औरंगाबाद, बिहार राज्य का रहने वाला है। बन्दी द्वारा ठेकेदारी के विवाद को लेकर दिनांक 04.04.1999 को 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोली से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-162/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-01, भदोही, ज्ञानपुर के आदेश दिनांक 24.04.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.01.2005 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.10.2007 द्वारा निर्णीत करते हुए सजा को यथावत रखा गया। दिनांक 20.11.2023 तक बन्दी की आयु 44 वर्ष है तथा बन्दी द्वारा 20 वर्ष 03 माह 08 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 08 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरंगाबाद, बिहार राज्य द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने मे अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी का कृत्य अत्यधिक दुस्साहसपूर्ण तथा कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहा नहीं किये जाने का अभिमत दिया गया है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 04.04.1999 को बंदी ने अपने 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ठेकेदारी के विवाद में राइफल, बन्दूक, पिस्टल आदि से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरंगाबाद (बिहार) द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी पुन: अपराध करने मे अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 के अर्न्तगत सिद्धदोष बंदी संतोष कुमार सिंह पुत्र श्री बैजनाथ सिंह को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संतोष कुमार सिंह (बन्दी संख्या-27774) पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, निवासी जनपद-औरंगाबाद, बिहार राज्य की दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-432 सपठित जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-604/2023/4058(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सुश्री गरिमा प्रसाद, मा0 अपर महाधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को रिट पिटीशन (एस)(क्रि0) नं0(एस) 430/2023 संतोष कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2023, दिनांक 20.11.2023 व दिनांक 23.11.2023 के सन्दर्भ में इस अनुरोध सहित प्रेषित कि उपर्युक्त वस्तुस्थिति से दिनांक 11.12.2023 को नियत सुनवाई में मा0 न्यायालय को अवगत कराने एवं प्रभावी पैरवी करने का कष्ट करें।
2- जिला पदाधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट), औरंगाबाद, बिहार राज्य।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (एस)(क्रि0) नं0(एस) 430/2023 संतोष कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2023, दिनांक 20.11.2023 व दिनांक 23.11.2023 के सन्दर्भ में।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।